

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव
गृह विभाग
उ०प्र० शासन

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 10 मार्च, 2011

विषय : बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों हेतु रबराईज्ड मोटर बोटों के कय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2668 / 1-10-14(23) / 2004 दिनांक 22 सितम्बर, 2010 को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय मुख्य सचिव उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2010 में लिए गए निर्णय के क्रम में आपदा राहत निधि के लिए लागू सर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों हेतु 33 रबराईज्ड मोटर बोट कय करने हेतु रू० 2,07,54,195/- (रू० दो करोड़ सात लाख चवन हजार एक सौ पचान्वे मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3. शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से बचत संभव हो तो उन्हे दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि प्राप्त न हुई हो।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध

करया जाय तथा महालेखाकार, इलाहाबाद के अभिलेखों में पुस्तांकन व मिलान समय से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

12.1.2011
(के०के० सिन्हा)
10/03/2011

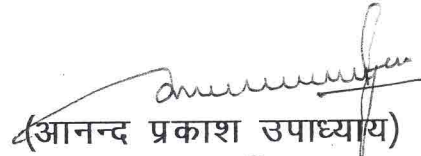
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या: 709 / 1-10-2011-14(23) / 2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा) प्रथम / (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- पुलिस महानिदेशक (प्र०/बजट), उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1
- 3- अपर पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 7- राहत आयुक्त संगठन/श्री संजय अग्रवाल, पीएस, एनआई सी को राहत वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।
h